



भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-181/2018-19

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद दिखनी तारीख साथ
28.03.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 30.04.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 30.04.2019 को उपस्थापित करें।</p>	
30.04.2019	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक- 250, दिनांक- 26.04.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.04.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्री घासीराम महतो, पिता- स्व० भगत महतो, जाति- कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), ग्राम- दंदासाई, महतो बस्ती, वार्ड नं०-14, पो०+थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 19०३ की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के प्रतिवेदानुसार आवासीय भूमि मौजा- वार्ड नं०- 15 चक्रधरपुर नगरपालिका, थाना नं०- 68, थाना- चक्रधरपुर, खाता नं०- 65, प्लॉट नं०- 117, रकवा- 0.05 ए०, भूमि चक्रधरपुर नगरपालिका क्षेत्र के शहरी क्षेत्र अंतर्गत आते हैं। आवासीय भूमि क्रेता श्री राज कुमार महतो, पिता- श्री कांतो महतो, जाति- कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), ग्राम- बोड़दा, पो०- चैनपुर, थाना- चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक श्री घासीराम महतो, पिता- स्व० भगत महतो, जाति- कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), ग्राम- दंदासाई, महतो बस्ती, वार्ड नं०-14, पो०+थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता का थाना- चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 1.19 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता श्री घासीराम महतो, पिता- स्व० भगत महतो, जाति- कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), ग्राम- दंदासाई, महतो बस्ती, वार्ड नं०-14, पो०+थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम उक्त भूमि 14,50,000/- (चौदह लाख पचास लाख) रुपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूलक अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराएं।</p>	<p style="text-align: right;">  28.3.19 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। </p>
		<p style="text-align: right;">  30.4.19 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। </p>